

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 208/[नागौर] 2015-2016

यह प्रमाणित किया जाता है कि माँ करणी शुभु के शान सोशाइटी एवं बनेवना जिला.....नागौर.....का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958

(राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक.....पन्द्रह.....माह दिसंबर
सन् दो हजारपन्द्रह.....कोनागौर.....में दिया गया ।



रजिस्ट्रीकरण संस्थान,
नागौर